

सं० सं० 14 / एम 11-1 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	दशरथ मंडल पिता-चौरासी मंडल ग्राम-बसलेटा पो०-चुआंपानी थाना-बौंसी जिला-बांका सीआरनं०-64287 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
2	डोमनी देवी पति-स्व. श्याम सुन्दर सिंह ग्राम-लावाबाग पो०-बाराकला थाना-कोठी जिला-गया सीआरनं०-53209 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
3	विरेन्द्र यादव पिता-कमल यादव ग्राम-पो०-दिग्धी थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा सीआरनं०-122539 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	मिला देवी पति-स्व. विनोद कुमार सिंह ग्राम-बसंतपुर ककरहट्टा पो०-धोबौली थाना-विदुपुर जिला-वैशाली सीआरनं०-3475 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

15

5	महेश्वर पाण्डेय पिता-स्व. विश्वनाथ पाण्डेय ग्राम+पो0-फतहपुर थाना+जिला-शिवहर सीआरनं0-76371 / 16	हृदय रोग	₹ 85,000 /--(पचासी हजार) स्वीकृत।
6	अनिल कुमार पिता-स्व. बैकुंठ प्रसाद ग्राम-बघवा गली महादेवा रोड पो0-आरा थाना-टाउन जिला-भोजपुर सीआरनं0-23356 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
7	मनीषा कुमारी पति-राज कुमार साह ग्राम-दामोदर पट्टी उर्फ सिमरी पो0-यदुपट्टी थाना-पुपरी जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-59659 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
8	तारा देवी पति-स्व. मोद नारायण मंडल ग्राम-परबता पो0-साहु परबता थाना-इस्माईलपुर जिला-भागलपुर सीआरनं0-62264 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
9	रश्मि सिंह पिता-जसवन्त सिंह ग्राम-लक्ष्मीपुर पोस्ट-बड़हरा थाना-कृष्णागढ़ जिला-भोजपुर पंजी / ओ.पीडीनं0-087775 / 15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 /--(चालीस हजार) स्वीकृत।
10	मुन्नी देवी पति-विरेन्द्र राय ग्राम-सतर पो0-सराय थाना-मनेर जिला-पटना सीआरनं0-53422 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
11	इसरती पति- अजीम ग्राम-दौलतपुर पो0-डुबा थाना-जोकीहॉट जिला-अररिया सीआरनं0-53443 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

12	जवाहीर साह पिता-स्व. दरोगा साह ग्राम-पो0-फुलवरीया थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-32754 / 16	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
13	अनदारुल हक पिता-स्व0 मो0 खलील ग्राम-खजांची हाट थाना-सहायक खजांची पो0-जिला-पूर्णिया सीआरनं0-76575 / 16	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
14	प्रमोद ठाकुर पिता-लक्ष्मण ठाकुर ग्राम-विशुनपुर मांझी पो0-चमनपुर थाना+जिला-शिवहर सीआरनं0-104716 / 14	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
15	संजु देवी पति-प्रभु कुमार ग्राम-मुसहरी पो0-चिस्तीपुर थाना-चंडी जिला-नालंदा सीआरनं0-75994 / 16	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
16	सीता देवी पति-विजेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम-पो0-मलहनमा थाना-त्रिवेणीगंज जिला-सुपौल सीआरनं0-86242 / 15	कैसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
17	श्याम देव यादव पिता-हरि प्रकाश यादव ग्राम-पो0-अमारी थाना-खैरा जिला-जमुई सीआरनं0-6184 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ।
18	अमित कुमार पासवान पिता-नेगरू पासवान ग्राम-पासवान टोला गणेशपुर पो0-गणेशपुर थाना-के0 नगर जिला-पूर्णिया सीआरनं0-70704 / 16	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।

150

19	जवाहर यादव पिता-सत्य नारायण यादव ग्राम-मौराखाप पो0-मौरा रामनगर थाना-शंकरपुर जिला-मधेपुरा सीआरनं0-35389 / 16	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 3,00,000 /-(तीन लाख) स्वीकृत।
20	राम स्वार्थ महतो पिता-स्व. मेही लाल महतो ग्राम-मुर्गीयाचक पो0-भोरे जयराम थाना-खानपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-64077 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
21	सिकन्दर सहनी पिता-भुमी सहनी ग्राम-चुकती पो0+थाना-मानसी जिला-खगड़िया सीआरनं0-69714 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
22	मालती देवी पति-केदार लाल ग्राम-पो0-थाना-पवना जिला-भोजपुर सीआरनं0-42396 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
23	कांति देवी पति-राम प्रकाश साव ग्राम-रामपुर पो0-अकैर थाना-चंडी जिला-नालंदा सीआरनं0-71261 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
24	उर्मिला देवी पति-स्व0 बालेश्वर भंडारी ग्राम-पो0-अमनौर थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-78319 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
25	भुपेन्द्र यादव पिता-जगदेव यादव ग्राम-कटहरा पो0-मोहनपुर थाना-छातापुर जिला-सुपौल सीआरनं0-44794 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।

26	सुबोध यादव पिता-योगेन्द्र यादव ग्राम-जहॉगीरा पो0-थाना-सुल्तानगंज जिला-भागलपुर सीआरनं0-37064 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) स्वीकृत।
27	अहमदी खातुन पति-मो0 आफरोज ग्राम-मुसेपुर पो0-मालीपुर थाना-गढपुरा जिला-बेगुसराय सीआरनं0-54815 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
28	भारती कुमारी पिता-दुखरन ठाकुर ग्राम-दीनादास टोला पो0-सिमराही थाना-राघोपुर जिला-सुपौल सीआरनं0-52943 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) स्वीकृत।
29	सरयु सिंह पिता-स्व. बच्चु सिंह ग्राम-धर्मपुर पो0-थाना-सकुराबाद जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / - (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
30	गुलाब चन्द्र यादव पिता-कुंजी लाल यादव ग्राम-कन्हैली 02 पो0+थाना-नरपतगंज जिला-अररिया सीआरनं0-55527 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
31	सीता राम यादव पिता- रामवतार यादव ग्राम-पोखर शाम पो0-मिल्कीचक थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा सीआरनं0-15546 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
32	धर्मन्द्र सिंह पिता-स्व. राम सागर सिंह ग्राम-कोर्ट ऐरिया पो0+थाना+जिला-लखीसराय पंजी ओ.पी.डी / 031027 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।

Handwritten signature

33	सहदेव महतो पिता-काली महतो ग्राम-पुरब टोला पकड़ी बरावा पो0-थाना-पकड़ी बरावा जिला-नवादा सीआरनं0-66650 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
34	बोकली देवी पति-स्व. भोला प्रसाद साह ग्राम+पो0-जमालपुर गोगरी थाना-गोगरी जिला-खगड़िया सीआरनं0-5692 / 15	किडनी रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
35	शारदा देवी पति-स्व0 बालदेव प्र0 आर्य ग्राम-पो0-गुलाबबाग थाना-सदर जिला-पूर्णिया सीआरनं0-626 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
36	प्रभावती देवी पति-स्व. कृष्णा सिंह ग्राम-नेवाजी टोला पो0-गुरुकुल मेहिया थाना-मुफसिल जिला-सारण सीआरनं0-151829 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
37	भीखारी महतो पिता-बासो महतो ग्राम-डुबरबोना पो0-थाना-लौकहा जिला-मधुबनी सीआरनं0-50761 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
38	शांति देवी पति-महेश्वर महतो ग्राम-रसलपुर पो0-किशनपुर युसुफ थाना-सराय रंजन जिला-समस्तीपुर सीआरनं0 55680 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
39	जयमन्ती देवी पति-जैदरथ शर्मा ग्राम+पो0-रामचन्द्रपुर थाना-पीपरीया जिला-लखीसराय सीआरनं0-82217 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 28,70,000 / -

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 28,70,000/- (अठ्ठाईस लाख सतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~387904~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम—“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 ” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम — पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~387904~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 926(14)

पटना, दिनांक 24.06.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री विजय प्रकाश, मंत्री, श्रम सं० विभाग बिहार / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.06.16

प्रेषक

डा. शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रसीदा खातुन पति-मो० बदरूल हसन ग्राम-सादपुरा जामा मस्जिद पो०-रमना थाना-काजी मोहम्मदपुर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	मोती वर्मा पति-बालेश्वर मेहता ग्राम-महेशपुर पो०-समदा थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹० 2,50,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 387966 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

/s/

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 387966 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

925(14)

पटना, दिनांक 24.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

211, 15-6-16

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रेणु देवी पति-उमेश मिस्त्री ग्राम-प्रेमडीहा पो०-मोहददीनगर थाना-हलसी जिला-लखीसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	पिंकी देवी पति-पंकज कुमार ग्राम-रूपौली पो०-शीलानाथ रूपौली थाना-जानकी नगर जिला-पूर्णिया	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	मो० आफताब कुरैसी पिता-मो० अजीज कुरैसी ग्राम-सीपाराडीह पो०-ढेलवा थाना-बेउर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	अनिता देवी पति-उदय प्रसाद यादव ग्राम-महकार पो०-सिउर थाना-रोह जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।

18

5	रौनक कुमार पिता-गोपालजी प्रसाद ग्राम-पो0-अनाईट थाना-नवादा जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
6	शकीना खातुन पति-बैजुल हक ग्राम-डुमरवाना पो0-थाना-पकड़ी दयाल जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
7	शिव दुलारी देवी पति-शिवजी ठाकुर ग्राम-पो0-चमरपुर थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	सुमेश्वर चौधरी पिता-स्व. अमिरचन्द्र चौधरी ग्राम-गोपाल नगर चकिया पो0-सेन्द्रल जेल थाना-मुफसिल जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	गौरी शंकर सिंह पिता-कैलाश सिंह ग्राम-पो0-अलीनगर थाना-सूर्यगढ़ा जिला-लखीसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	प्रवीण कुमार पिता-वेद नारायण प्रसाद ग्राम-पो0+थाना-कोइलवर जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
11	मो. वारिस पिता-हजरत उमर ग्राम-सिमराहा पोस्ट-कान्त नगर थाना-बरारी, जिला-कटिहार	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
12	रामकृपाल वर्मा पिता-स्व. यदुनन्दन वर्मा ग्राम+पो0-मोहनपुर थाना-बखरी जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,40,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,40,000/- (तेरह लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387965 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387965 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह० / -

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

920(14)

पटना, दिनांक 24.6.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.6.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मीना देवी पति-जगदीश महतो ग्राम-बखतपुर पो०-तीलरथ थाना-वीरपुर पी०एस० जिला-बेगुसराय	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
2	परिधि गुप्ता पिता-अजय कुमार ग्राम-नीम की भट्टी पो०-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना	कोकलीयर इम्प्लांट रोग	₹ 5,00,000 /-(पांच लाख) स्वीकृत।
3	ओम कुमार पिता-मृत्युंजय कुमार ग्राम-गाजाचक महमदपुर पो०-सोरमपुर थाना-जानीपुर जिला-पटना	कोकलीयर इम्प्लांट रोग	₹ 5,00,000 /-(पांच लाख) स्वीकृत।
4	किसलय कुमार पिता-नित्यानन्द सुमन ग्राम-महावीर कालोनी चन्दौती मोड़, पो०-चन्दौती,थाना-रामपुर, जिला-गया	कोकलीयर इम्प्लांट रोग	₹ 5,00,000 /-(पांच लाख) स्वीकृत।
5	प्रभु नारायण शर्मा पिता-स्व. सिया शरण शर्मा ग्राम-रघुनाथपुर पो०-सिद्धिपुर थाना-खिरिमोड़ जिला-पटना	घुटना रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।

(Handwritten signature)

6	नवाब मियां पिता-सकुर मियां ग्राम-बलवा पो0-मुसेहरी बाजार थाना-भोरे जिला-गोपालगंज	हिप रिप्लेसमेंट रोग	₹ 1,00,000 /--(एक लाख) स्वीकृत।
7	गीता देवी पति-सज्जन राम ग्राम-पसौढा पो0-मुडिका थाना-सिगोडी जिला-पटना	Arteriovenous Malformation रोग	₹ 70,000 /--(सतर हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 18,10,000 /--

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 18,10,000 /--(अठारह लाख दस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....
.....मूल रूप में संलग्न है। 387981
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

Eaf


(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 923 (14)

पटना, दिनांक 24.06.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री श्याम रजक, स.वि.स० फुलवारी, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/7/16